Pioneer 17-9-17

Mediation brings peace, harmony to litigants, says Justice Bobde

MUKESH RANJAN ■ RANCHI

Lauding the works done in the field of mediation in the State, Supreme Court Judge, Justice SA Bobde said 'mediation really works' was not in dispute any more. Speaking during a workshop on 'Mediation: Shaping the Future of State Litigation (An Initiative to Implement the State Litigation Policy) organised by Jharkhand Legal Services Authority and the Government of Jharkhand, Justice Bobde said it was important that a mediator should have a rapport of honesty and integrity and have lasting solution to the problems of litigants.

"Everyone is interested in the peace and harmony that follows mediation. It was believed that the government was outside the ambit of mediation, which has now been broken and it is heartwarming to see that the government itself is participating in mediation," said Justice Bobde.

The SC Judge further said that he was delighted to see that wonderful work was being done in the field of mediation in Jharkhand under the guidance of Acting Chief Justice of Jharkhand High Court Justice DN Patel.

"I have rarely seen such a positive response from the government towards the schemes put forward by the Judiciary. All I can say is Jharkhand is the best place to support the origin of intentions of Constitution," said Justice Bobde. Mediation also has several advantages like sense of confidentiality is maintained here and has also been proved time-saving, he added.

Judge Supreme Court of India Justice SA Bobde handing over a cheque to a beneficiary during a workshop on 'Mediation: Shaping the Future of State Litigation (An Initiative to Implement the State Litigation Policy) organised by Jharkhand Legal Services Authority and Government of Jharkhand at Judicial Academy auditorium in Ranchi on Saturday Ratan Lal I Pioneer

Justice Bobde said that role of mediators was extraordinarily important as ultimate guarantee of Justice lies with the personality of the Judge hearing the matter. He however, accepted that a lot was still to be done in the field of mediation.

"I request the officers present here to look into it as you will be relieving the citizens from a huge sort of problems though mediation," said the Supreme Court Judge.

Addressing the gathering of advocates, mediators and Government officials during the programme, Justice BR Gavai of Bombay HC was also of the view that the works done in Jharkhand by Justice Patel must be followed in the other HCs.

"I always had an impression that Jharkhand was a backward state, but I would say that the JHALSA is much more forward that the other states and the pilot projects undertaken by it must be imitated by other states," said Gavai. Jharkhand is the first State to adopt 10 mediators who were not advocates and came from different walks of life in the society, he added.

Justice Patel in his welcome speech said 5,567 matters related to different universities in the State were resolved at pre-litigation stage worth Rs 127 crore. He said that Government officers contributes to be 70 per cent of the litigants and hence of success of mediation depends on them.

"Court has a multi-door system...we will be minimizing it through mediation," said Justice Patel. Compensation to the victims were also distributed among them under Victim Compensation Scheme 2016 (A Scheme framed by the State of Jharkhand under Section 357A of Cr PC) and to the victims under SC/ST (POA) Act 1989.

MORNING India 17-09-2017

State largest litigant, should resolve maximum disputes through mediation: SC judge

SANJAY SAHAY

RANCHI: Supreme Court judge Justice S A Bobde said on Saturday the government is the largest litigant in court adding it is because the state has more wealth. The litigation follows the wealth, he observed while speaking in a seminar on mediation at Judicial Academy in Ranchi.

Justice Bobde said, "Lands, jobs, revenue matters, you name it and the government is there as a litigant. For some reason it was always believed that government was outside the pale of mediation but that spell has been broken. It is very heartwarming to see the government participate in mediation". He said the uniqueness of the seminar is that invasion of the system of mediation in matter related to government. Mediation not only reduces number of pending cases but also adds to peace and harmony in the society. Mediation has several other advantages, he said adding it ensures the confidentiality of the litigants.

Justice Bobde said litigation is a fight to the finish by both the parties. It generally causes ill-health and tension in the family. A study would reveal litigation lead to disastrous impact, he said.

He said legislative, executive and the judiciary are separated on basis of function and not intention. He said the intention of all three wings is to have a strong united India. Justice Bobde said that intention of the constitution is have rule of law and governance, which is based on justice, equality and fraternity. Acting chief justice of Jharkhand high court justice DN Patel said National Litigation policy and the State Litigation Policy have stated that litigation should not be resorted to for the sake of litigation. Citing an example when 5587 cases related to state universities were disposed of he said other departments must also follow the same measure.

He said that JHALSA has taken a unique step of appointing expert mediators for solving disputes and their success rate has been 59 percent so far in 2017.

Justice BR Gavai of Bombay high court said Jharkhand High Court has taken many innovative measures and other parts of the country must follow it. He said state is a litigant in 70 percent of the cases in high courts. He said that in many cases the cost of litigation is higher than the disputed amount. The judges distributed cheques under the victim's compensation act to over 40 persons including large number of minors. Several of them were orphaned minors. Around 80 percent of the beneficiaries were females. Two technical sessions on mediation on topics 'Preferrbale dispute resolution mechanism' and 'Access to justice and dispute resolution system' were held during the seminar. Sriram Panchu an advocate, author, and international mediator spoke on 'Categorization of litigation in which state is litigants' and 'Identifying case suitable for litigation'.

Additional chief secretary Amit Khare addressed the gathering on needs and expectation of stakeholders. He said government officers must be compassionate in their works.

सन्मार्ग 17-9-17

तसर अनुसंधान केंद्र में लगी आकर्षक प्रदर्शनी

संवाददाता

पिस्का नगड़ी : केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी राँची द्वारा शनिवार को झारखण्ड ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की शोध गतिविधियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगायी गयी । संस्थान के निदेशक डा अजीत कुमार सिन्हा द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को संस्थान में तसर रेशम के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय शोध कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एक आकर्षक प्रदर्शनी लगायी गयी। जिसमें रेशम कीटपालन के प्रक्षेत्र स्तर से वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की सम्पूर्ण तकनीक दिखलायी गयी। न्यायधीशों ने संस्थान द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का रुचिपूर्वक अवलोकन किया एवं संस्थान द्वारा तसर रेशम के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यो की प्रशंसा की । झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायधीश डीएल पटेल सहित सभी न्यायधीशों ने हर्ष प्रकट किया कि तसर रेशम उद्योग समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं खासकर जनजातीय समुदाय के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने संस्थान के द्वारा विगत वर्षों में किए गए शोध कार्यों के बल पर देश में तसर रेशम उत्पादन की अभिवृद्धि पर हर्ष प्रकट किया। उनके द्वारा यह आशा व्यक्त की गई कि अगर इसी रफ्तार से इस दिशा में कार्य किया जाता रहे तो संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के बल पर हम अपने देश को तसर रेशम उत्पादन में अग्रणी बना सकते हैं। वर्तमान में भारत द्वितीय सबसे बड़ा तसर उत्पादक देश है। उन्होंने निदेशक एवं वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे ऐसी टेक्नोलाजी विकसित करें कि भारत तसर रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर आ जाए ।

कोर्ट में सरकारें सबसे ज्यादा लड़ती हैं मुकदमे

मध्यस्थता पर हुए सेमिनार में बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबड़े

जागरण संवाददाता, रांची : सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि कोर्ट में सबसे ज्यादा विवादी (लिटिगेंट) सरकार होती हैं। सरकार अगर छोटे मामलों को अपने स्तर से ही निपटा ले तो कोर्ट में विवादी नहीं बनना पड़ेगा। कई बार पता होने के बाद भी कि मामले में कुछ नहीं हैं। लेकिन सरकारें अपील दाखिल करती हैं। क्योंकि इनके पास पैसा है और मुकदमा लड़ने में पैसे खर्च होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि राज्य सरकारें मध्यस्थता (मीडिएशन) को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं लेकिन झारखंड में यह देखकर खुशी हुई कि यहां की सरकार मध्यस्थता सहित हाई कोर्ट की सभी योजनाओं को लेकर गंभीर है। जस्टिस एसए बोबड़े धुर्वा स्थित ज्यूडिशियल एकेडमी में मध्यस्थता पर आयोजित सेमिनार पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्यस्थता में मामलों को सुलझाने में सहूलियत होती है। लोगों को अभी तक यही पता है कि उनका अधिकार मात्र कोर्ट ही दिला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मध्यस्थता के जरिए भी लोग अपना अधिकार पा सकते हैं। इस दौरान पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया।

रांची में शनिवार को ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में लाभुक को चेक प्रदान करते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसए बोबड़े • जागरण

मध्यस्थता से छह माह में सुलझाए साढ़े पांच हजार मामले: झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि छह माह में राज्य के विश्वविद्यालयों के करीब 5587 मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया गया। इसके लिए कुल 127 करोड़ रुपये वादियों को दिए गए। झारखंड में मध्यस्थता का अनुपात 2014 में 41 फीसद, 15 में 46 फीसद, 16 में 52 फीसद और 17 में अब तक 59 फीसद है वहीं, हाई कोर्ट का अनुपात 70 फीसद है।

पीड़ितों को मिला मुआवजा : कार्यक्रम के दौरान पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया गया। रांची की दिव्यांग जतरी उरांव को तीन लाख रुपये, अनाथ निक्की, निकांसी, निशांत को तीस हजार रुपये, मोहम्मद जुनैद को दो लाख रुपये मुआवजा दिया गया। कार्यक्रम में हाई कोर्ट के सभी जज, रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, महाधिवक्ता अजीत कुमार, वित्तायुक्त अमित खरे आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान 17-09-2017

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में शोध की गतिविधियों की लगाई गई प्रदर्शनी

'तसर रेशम उद्योग का उठाएं लाभ'

पिस्कानगड़ी | प्रतिनिधि

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी द्वारा शनिवार को झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की शोध गतिविधियों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर संस्थान के निदेशक डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को संस्थान में तसर रेशम के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय शोध काम की जानकारी दी गई।

प्रदर्शनी में रेशम कीटपालन के प्रक्षेत्र स्तर से वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की संपूर्ण तकनीक दिखाई गई। माननीय न्यायाधीशों ने संस्थान द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का रुचिपूर्वक

खुशी जताई

- न्यायाधीशों ने तसर रेशम उत्पादन में हो रही वृद्धि पर जताई खुशी
- वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा तसर उत्पादक देश है

अवलोकन किया। साथ ही संस्थान द्वारा तसर रेशम के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान काम की प्रशंसा की।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश डीएल पटेल सहित अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि तसर रेशम उद्योग समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं खासकर जनजातीय समुदाय के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों के बल पर देश में तसर रेशम

झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि। • हिन्दुस्तान

उत्पादन में हो रही वृद्धि पर खुशी जताई है। वहीं कहा कि इसी गति से कार्य होगा, तो संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के बल पर हम अपने देश को तसर रेशम उत्पादन में अग्रणी बना सकते हैं। वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा तसर उत्पादक देश है। उन्होंने निदेशक एवं वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें कि भारत तसर रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर आ जाए।

SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
SEPTEMBER 17, 2017

Govt should adopt mediation to settle cases: SC judge

PILING CASES Government happens to be one of the parties in nearly 70% of litigations

Bedanti Saran
Bedanti.Saran@hindustantimes.com

RANCHI: Justice SA Bobde of the Supreme Court on Saturday appealed the state government to adopt the effective tool of mediation to settle court cases, a larger chunk of which are against the government.

He said the government happened to be one of the parties in nearly 70% of litigations. "Resolving these cases through courts consumes much time. Government should, therefore, go for an out of court settlement of these cases through mediation to minimise litigations," he said.

Justice Bobde was speaking at a seminar on 'Mediation: Shaping the future of state litigation', organised by the Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) at Jharkhand Judicial Academy at Dhurwa here.

"It is the responsibility of the government in a welfare state to ensure mental peace for its citizens and create a harmonious environment for them. All these are possible by way of mediation through which acrimonious parties mutually settle litigations under the guidance of an expert mediator," Justice Bobde said.

Highlighting the benefits of mediation, he said cases related to matrimonial disputes, tax matters, civil issues and many others could be resolved through this alternative dispute resolution system. "It not only provides cheap and speedy justice but also gives mental peace to the acrimonious minds," Justice Bobde said.

Judges releasing booklets at a seminar at State Judicial Academy, in Ranchi on Saturday. HT PHOTO

> It is the responsibility of the government in a welfare state to ensure mental peace for its citizens and create a harmonious environment for them
>
> SA BOBDE, Supreme Court Justice

Justice BR Gavai, a judge of the Bombay high court, highlighted the achievements of Jharkhand in the field of mediation.

He said the Supreme Court judges always cited examples of Jharkhand asking other states to follow Jharkhand's foot step. "JHALSA has convinced people from all walks of life, including IAS, IPS and doctors, to become mediators and imparted specialised training to them," he said.

Acting chief justice DN Patel of the Jharkhand high court said more than 5,000 cases related to universities had been resolved through mediation last year. "If universities can adopt this simple system, why can't other departments of the government," he said, asking the authorities to take up the issue seriously.

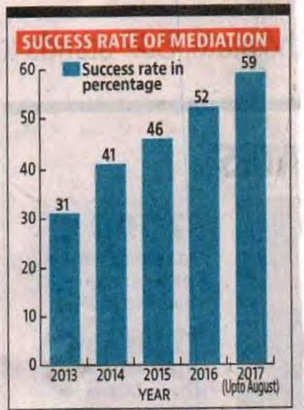

Justice Aparesh Kumar Singh of the Jharkhand high court, additional chief secretary Amit Khare and many other senior government officials and lawyers also attended the seminar. On the occasion, several victims of crime were granted compensation.

Compassionate appointment letters were distributed to two persons. Two victim children, whose parents had been murdered, were handed over cheques of Rs 2 lakh.

रांची LIVE सिटी

हिन्दुस्तान 17-9-2017

न्यायिक एकेडमी में मध्यस्थता पर आयोजित सेमिनार में बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े

विवाद सुलझाने में सरकार करे पहल

रांची | संवाददाता

मध्यस्थता से विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को भी पहल करनी होगी। देश की अदालतों में लंबित 70 प्रतिशत मामले सरकार से संबंधित हैं। इन मामलों में अनावश्यक विलंब भी होता है। कोई भी सरकार कल्याणकारी होती है। सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को मानसिक शांति प्रदान करे। लोगों को बीच सौहार्द्र का माहौल तैयार करे और यह मध्यस्थता से ही संभव है। क्योंकि मध्यस्थता से समझौता आपसी सहमति से होता है और दोनों पक्ष सही बात रखते हैं जो उन्हें चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े ने शनिवार को रांची को न्यायिक एकेडेमी में मध्यस्थता पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इसमें बंबई हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव अमित खरे समेत, सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वकीलों और अन्य ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन झारखंड सरकार और झालसा ने किया था।

न्यायिक एकेडमी में शनिवार को आयोजित सेमिनार के दौरान बुकलेट जारी करते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े व अन्य जस्टिस।

झारखंड में मध्यस्थता की सफलता की दर

वर्ष	दर
2013	31%
2014	41%
2015	46%
2016	52%
2017	59%

(2017 में दर अगस्त तक)

मध्यस्थता में झारखंड की अलग पहचान

बंबई हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि झारखंड ने मध्यस्थता के क्षेत्र में पूरे देश में विशेष पहचान बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी दूसरे राज्यों को झारखंड का अनुसरण करने को कहते हैं। झालसा के प्रयास से ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और दूसरे क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देकर मध्यस्थ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए अपनी नीति बदली है।

कई पीड़ितों को हुआ मुआवजे का भुगतान

सेमिनार में विभिन्न घटना के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया गया। दो लोगों को अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मां- पिता की हत्या के बाद नाबालिग बच्चों को दो लाख का चेक दिया गया।

जस्टिस बोबड़े ने कहा, मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवादों के लिए बेहतर मध्यस्थ का होना जरूरी है। मध्यस्थ ऐसा होना चाहिए जो विवाद की तह तक जाकर यह पता कर सके कि विवाद की मूल वजह क्या है। मध्यस्थता से न सिर्फ वैवाहिक बल्कि टैक्स, सिविल, आपराधिक, बिजनेस और सभी तरह के मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है। खर्च कम होता है और मानसिक शांति भी मिलती है।

मध्यस्थता के लिए सजग होना होगाः जस्टिस पटेल

झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि पिछले साल मध्यस्थता से विश्वविद्यालयों के पांच हजार से अधिक मामले निपटाए गए हैं। जब विश्वविद्यालय ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे विभाग क्यों नहीं। अधिकारियों को मध्यस्थता को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की लेटिगेशन पॉलिसी में भी मध्यस्थता शामिल है। इस पर काम भी करना होगा।

रेशम पालन से निर्माण तक की प्रक्रिया देखी

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी की ओर से न्यायिक अकादमी में प्रदर्शनी लगायी गयी। संस्थान के निदेशक डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने जजों को तसर रेशम के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय शोध कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रदर्शनी में रेशम कीटपालन से लेकर वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की सम्पूर्ण तकनीक दिखाई गई।

सेमिनार. धुर्वा स्थित झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी सभागार में जस्टिस बोबड़े ने कहा

कोर्ट में सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज

वरीय संवाददाता ▸ रांची

कोर्ट में सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट (वादी/मुकदमेबाज) है. छोटे-छोटे मामले सरकार अपने स्तर पर ही निबटा ले, तो कोर्ट में मामले कम आयेंगे. कोर्ट पर मुकदमे का बोझ कम करने में मदद मिलेगी. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबड़े ने कही. वे शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि धुर्वा स्थित झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी सभागार में मध्यस्थता पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम का आयोजन झारखंड सरकार व झालसा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था.

न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा कि सरकार द्वारा समस्या का निदान नहीं करने पर मामला कोर्ट के सामने आता है. मामले में कुछ नहीं है, इसके बावजूद सरकार की ओर से अपील दाखिल की जाती है. प्रायः यह देखने में आता है कि राज्य सरकार मध्यस्थता को ज्यादा महत्व नहीं देती है. झारखंड में यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि यहां की सरकार हाइकोर्ट की सभी योजनाओं को लेकर गंभीर है. न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्यस्थता में मामलों को सुलझाने में सुविधा होती है. अभी लोगों को पता है कि कोर्ट से ही उनको न्याय व अधिकार मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. न्याय के वैकल्पिक व्यवस्था मध्यस्थता के माध्यम से भी लोग अपना अधिकार पा सकते हैं. इसका प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है. बांबे हाइकोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने मध्यस्थता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मामले का निष्पादन मध्यस्थता से कराने के लिए लोगों से आगे आने की बात कही. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया. कार्यक्रम के दौरान बुकलेट, पंपलेट, मध्यस्थता मैनुअल का विमोचन किया गया. पीड़ित लोगों को मुआवजा से संबंधित चेक प्रदान किया गया. दिव्यांग जतरी उरांव को तीन लाख रुपये, मो जुनैद को दो लाख रुपये, निक्की, निशांत सहित अन्य को 30-30 हजार रुपये मुआवजा प्रदान किया गया. वही गुमला के सुधा कुल्लू, मनोरंजन कुल्लू सहित अन्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

सरकार व झालसा के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन

न्यायमूर्ति ने यह भी कहा

- झारखंड की सरकार हाइकोर्ट की सभी योजनाओं को लेकर गंभीर
- न्याय की वैकल्पिक व्यवस्था मध्यस्थता के माध्यम से भी लोग अपना अधिकार पा सकते हैं

पीड़ित लोगों को मुआवजे से संबंधित चेक देते जस्टिस डीएन पटेल.

मध्यस्थता की सुविधा का उपयोग हो : जस्टिस पटेल

झारखंड हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि छह माह के अंदर राज्य के विश्वविद्यालयों के लगभग 5,587 मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया गया है. राज्य सरकार को भी मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की सुविधा का उपयोग करना चाहिए. झारखंड में मध्यस्थता से मामलों का निष्पादन दर काफी अधिक है.

-आजाद सिपाही 17-9-2017

मध्यस्थता के जरिये भी लोग अपने अधिकार या न्याय पा सकते हैं : जस्टिस बोबड़े

संवाददाता

रांची। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि मध्यस्थता के जरिये भी लोग अपना अधिकार या न्याय पा सकते हैं। लोग यही सोंचते हैं कि कोर्ट ही उन्हें उनका अधिकार या न्याय दिला सकती है। जबकि मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को सुलझाने में काफी सहुलियत होती है। साथ ही दोनों पक्षों को राहत मिलती है। जस्टिस एसए बोबड़े धुर्वा स्थित ज्यूडिशियल एकेडमी में मध्यस्थता पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुकदमे काफी लंबे चलते हुए उसमें पैसे खर्च होते हैं। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से जानते समझते कई ऐसे मामलों में अपील दाखिल की जाती है, जिसमें कुछ खास दम नहीं होता है। यह भी देखा जाता है कि राज्य सरकारें मध्यस्था पर ज्यादा फोकस नहीं करती हैं। लेकिन झारखंड की सरकार हाइकोर्ट की सभी योजनाओं पर विशेष ध्यान देती है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कोर्ट में सबसे ज्यादा विवादी (लिटिगेंट) हैं। इसका कारण है कि सरकार अगर छोटे मामलों को अपने स्तर से ही निपटा ले तो कोर्ट में विवादी नहीं बनना पड़ेगा। हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि छह माह में राज्य के विश्वविद्यालयों के करीब 5587 मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया गया। इसी तरह दूसरे विभागों को मामले भी मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। इसपर विचार करने की जरूरत है। कार्यक्रम में बांबे हाइकोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई और झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कई पीड़ितों को मुआवजा मिला। इनमें रांची की दिव्यांग जतरी उरांव को तीन लाख रुपये, अनाथ निक्की, निकासी, निशांत को तीस हजार रुपये, मोहम्मद जुनैद को दो लाख रुपये मुआवजा दिया गया। इसके अलावे गुमला के मनोरंजन कुल्लू, सुधा कुल्लू सहित अन्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया।

न्यायिक एकेडमी में मध्यस्थता पर आयोजित सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा

सरकार विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अपनायें

रांची। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि मध्यस्थता से विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को भी पहल करनी होगी। देश की अदालतों में लंबित मामलों में से 70 प्रतिशत मामले सरकार से संबंधित हैं। इन मामलों में अनावश्यक विलंब भी होता है। कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को मानसिक शांति प्रदान करे। लोगों को बीच सौहार्द्र का माहौल तैयार करे। यह मध्यस्थता से ही संभव है। क्योंकि मध्यस्थता में दोनों पक्ष अपने विवाद को सही तरीके से रखते हैं, जो उन्हें चाहिए। जस्टिस श्री बोबड़े शनिवार को रांची के न्यायिक एकेडमी में मध्यस्थता पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन झारखंड सरकार और झालसा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवादों के लिए बेहतर मध्यस्थ का होना जरूरी है। मध्यस्थ ऐसा होना चाहिए जो विवाद के तह तक जाकर यह पता कर सके कि विवाद की मूल वजह क्या है। मध्यस्थता से न सिर्फ वैवाहिक बल्कि टैक्स, सिविल, आपराधिक, बिजनेस और सभी तरह के मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है। खर्च कम होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। विवाद का समाधान सहमति से होती है,इस कारण सौहार्द्र भी बना रहता है।इसमें बंबई हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस अपरेश कुमार सिह, अपर मुख्य सचिव अमित खरे समेत, सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी वकीलों और अन्य संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया।

मध्यस्थता में देश में है झारखंड की पहचानः जस्टिस गवई

बंबई हाइकोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि विवादों को सुलझाने में झारखंड के मेडिएटर सबसे आगे हैं। झारखंड ने मध्यस्थता के क्षेत्र में पूरे देश में विशेष पहचान बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी दूसरे राज्यों को झारखंड का अनुसरण करने को कहते हैं। झालसा के प्रयास के बाद ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और दूसरे क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देकर मध्यस्थ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए अपनी नीति बदली है। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने में कम समय लगेगा और त्वरित निष्पादन होगा।

मध्यस्थता के लिए सभी एजेंसियों को सजग होना होगाः जस्टिस पटेल

झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि लंबित मामलों का निष्पादन मध्यस्थता से त्वरित गति से होता है। पिछले साल विश्वविद्यालयों के पांच हजार से अधिक मामले मध्यस्थता से निपटाए गए हैं। जब विश्वविद्यालय ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे विभाग क्यों नहीं। अधिकारियों को मध्यस्थता को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की लेटिगेशन पॉलिसी में भी मध्यस्थता भी शामिल है। इस पर काम भी करना होगा। वर्तमान समय में मेडिएशन विवादों के समाधान का बेहतर विकल्प साबित हो रहा है।

कई पीड़ितों को किया गया मुआवजा का भुगतान

सेमिनार में विभिन्न घटना के पीड़तिों को मुआवजा का भुगतान किया गया । दो लोगों को अनुकंपा पर नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मां- पिता की हत्या के बाद नाबालिग बच्चों को दो लाख का चेक दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न घटना के पीड़तिों को राशि दी गई। विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत इस राशि का भुगतान किया गया।